न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

---

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

---

पील संख्या :– 15/13 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

नवान8 :–

1. भूपसिंह पुत्र जंगलीराम
2. सदाकौर बेवा जंगलीराम
3. बालादेवी पुत्री जंगलीराम
4. शीला देवी पुत्री जंगलीराम
5. सुमनदेवी पुत्री जंगलीराम
6. राकेश कुमार पुत्र कर्णसिंह नबीरा जंगलीराम जातियान जाट निवासीयान शहजादपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:–– वादीगण/अपीलांटस

बनाम

1. श्योचन्द पुत्र स्व0 अमीचन्द
2. जुगलाल पुत्र स्व0 अमीचन्द
3. सिंघराम पुत्र स्व0 अमीचन्द
4. नर्मदा देवी पत्नि श्योचन्द
5. महेन्द्र सिंह पुत्र छोटूराम

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

6. हवासिंह पुत्र छोटूराम

जाति जाटान निवासीयान शहजादपुर तहसील मुण्डावर

7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी, मुण्डावर

:–– प्रतिवादीगण / रेस्पो0

8. हुकमसिंह पुत्र जंगलीराम जाति जाट निवासी शहजादपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

:––– वादी / तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर

दिनांक 22.1.2013

---

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– घनश्याम स्वरूप अडोलिया

2. वकील रेस्पो0 :– उपस्थित नहीं ।

निर्णय दिनांक 1.2.2017

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा मुकदमा नम्बर 369 / 2007 में पारित निर्णय दिनांक 21.1.2013 के खिलाफ है, जिसके द्वारा प्रार्थी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया गया है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में एक वाद पत्र पेश किया । उस वाद पत्र में प्रार्थी प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 इस आशय का पेश किया कि वादी ने मुकदमा नम्बर 109/2007, 212/2007 पेश किये थे । ये दोनों दावे अदम हाजरी/अदम पैरवी में दिनांक 28.8.2008 को खारिज हो गये थे । इन दोनों दावे में पार्टीज व खसरा नम्बर समान थे । मुकदमा नम्बर 109/2007 में कॉज ऑफ एक्शन दिनांक 13.5.2007 को हुई तथा मुकदमा नम्बर 212/2007 कमें कॉज ऑफ एक्शन दिनांक 8.7.2007 को पैदा होना बताया गया था । कॉज ऑफ एक्शन एक बार ही पैदा होता है । मौजूदा वाद रेसज्यूडीकेटा में आता है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र खारिज किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट वादी ने अपनी बहस में बताया कि पूर्व के दावे अदम हाजरी / अदम पैरवी में खारिज हुये थे, इसलिये मौजूदा वाद पर रेसज्यूडीकेटा लागू नहीं होता है, ना ही आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान लागू होते हैं । अगर प्रार्थी प्रतिवादी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी तो उसे वो अपने जवाब दावा में उठा सकता है, आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में अपनी आपत्ति नहीं उठा सकता । तहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. रेस्पो0 उपस्थित नहीं ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 11 में दिये गये प्रावधानों का अध्ययन किया । आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 में प्रावधान किया गया है कि अगर वाद पत्र में वाद हेतुक प्रकट ना हो तथा किसी कानून से बाधित हो तो वाद पत्र नामंजूर कर देना चाहिये । इसी प्रकार धारा 11 सी0 पी0 सी0 में प्रावधान किया गया है कि पूर्ववर्ती वाद एवं पश्चातवर्ती वाद में अगर वाद की विषय वस्तु एवं पक्षकार समान है तथा मांगा गया अनुतोष समान है तो पश्चातवर्ती वाद पूर्व न्याय के सिद्धान्त से बाधित होगा अर्थात उस पर रेसज्यूडीकेटा लागू होगा । मौजूदा प्रकरण का अवलोकन किया तो पाया कि पूर्व के वाद 109/2007 तथा 212/2007 अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज हुये थे । अब प्रश्न यह उठता है कि पूर्ववर्ती वाद अदम हाजरी / अदम पैरवी में खारिज होने पर पश्चावर्ती वाद पर रेसज्यूडीकेटा

बन्ध अधिकारी एवं पदेन
अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

लागू होता है अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में हमने ए0 आई0 आर0 2004 गुजरात पेज 83 में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अध्ययन किया । इस नजीर में माननीय न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि उसी वाद हेतुक पर पश्चातवर्ती वाद, पूर्ववाद का गुणावगुण पर निर्णय नहीं किया गया था, के कारण पूर्व न्याय द्वारा वर्जित नहीं है । मौजूदा प्रकरण में पूर्ववर्ती दोनों वाद अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज हुये थे, वे गुणावगुण पर निर्णित नहीं हुये थे । फलस्वरूप इस नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में मौजूदा प्रकरण पर रेसज्यूडीकेटा लागू नहीं होता है, जिस ओर विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया । चूंकि पूर्व के वाद गुणावगुण पर निर्णित नहीं हुये थे, इसलिये वादी के लिये अभी वाद हेतुक प्रकट है तथा रेसज्यूडीकेटा लागू नहीं हो रहा है, इसलिये मौजूदा वाद किसी कानून से बाधित भी नहीं है अर्थात मौजूदा प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.1.2013 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करें । अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 10.3.2017 को उपस्थित हो ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner